E mail.

<u>कार्यालयः: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)</u>

पृष्ठाकंन क्रः—10532/दो—12—29/2023 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2023

प्रतिलिपिः—

1— प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग/अभिलेखागार (डिजीटायजेशन) भोपाल/बैरसिया, की ओर उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश का ई मेल ज्ञापन क. ए/5011 (तीन—18—75/2020 भोपाल) जबलपुर 14 अगस्त 2023, के साथ रजिस्ट्री ज्ञापन क. डी/1428 (तीन—18—35/96) जबलपुर दिनांक 16.09.2013 की प्रतिलिपि, इस स्थापना पर चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से कलेक्टर रेट पर वेतनभोगी/संविदा कर्मचारियों को निर्देशित किया जावे कि, वे म.प्र.न्यायिक कर्मचारी संघ (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) द्वारा संयुक्त मोर्चा के प्रस्तावित आंदोलन में दिनांक—25.08.2023 को सामूहिक अवकाश में शामिल होने पर अनाधिकृत अनुपस्थित मानते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

2— प्रशासनिक अधिकारी, समस्त उप प्रशासनिक अधिकारीगण, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र् न्यायाधीश, भोपाल,

3— लेखापाल/समस्त सहायक लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, भोपाल,

4— समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकगण, भोपाल(म.प्र.)/बैरसिया,

की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश का ई मेल ज्ञापन क. ए/5011 (तीन—18—75/2020 भोपाल) जबलपुर 14 अगस्त 2023, के साथ रजिस्ट्री ज्ञापन क. डी/1428 (तीन—18—35/96) जबलपुर दिनांक 16.09.2013 की संलग्न प्रतिलिपि में दिये गये निर्देशानुसार म.प्र.न्यायिक कर्मचारी संघ (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) द्वारा संयुक्त मोर्चा के प्रस्तावित आंदोलन में दिनांक 25.08.2023 को सामूहिक अवकाश में शामिल होने पर अनाधिकृत अनुपस्थित मानते हुए संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

5— समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण भोपाल/बैरसिया, जिला भोपाल एवं

6— समस्त अनुभाग प्रभारी अधिकारीगण भोपाल/बैरसिया, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

7— सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

8— जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, भोपाल की ओर जिला न्यायालय की वेबसाईट में तथा ई मेल किये जाने के संबंध में पालनार्थ प्रेषित है।

9— शीघ्रलेखक, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्रमांक A/5011 जबलपुर, दिनांक 14 अगस्त, 2023
II-18-188/76

प्रति,

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय (म.प्र.)
16 AUG 2023
क्रमांक 1759

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(राज्य के समस्त) (म.प्र.).

2. प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
(राज्य के समस्त) (म.प्र.).

विषय :— म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ (तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी) द्वारा संयुक्त मोर्चा के प्रस्तावित आंदोलन दिनांक 25/08/2023 को अधीनस्थ कर्मचारीगण के सामूहिक अवकाश के संबंध में।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार, उक्त विषयांतर्गत रजिस्ट्री ज्ञापन क्र. डी/4128, दि. 16/09/13 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर, लेख है कि म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ (तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ) के म.प्र. अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रस्तावित आंदोलन दिनांक 25 अगस्त, 2023 में शामिल होने बावत् कर्मचारीगण के सामूहिक अवकाश पर रहने की स्थिति में उक्त ज्ञापन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

सादर।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

14.8.23

(संतोष प्रसाद शुक्ला)
रजिस्ट्रार {जिला स्थापना}

Circulate amongst all the employees of the District establishment

16.8

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक D/4128/
तीन–18–35/96

जबलपुर, दिनांक 16.09.2013

प्रति,

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
   (समस्त) (म०प्र०)

2. प्रधान न्यायाधीश,
   कुटुम्ब न्यायालय,
   (सतस्त) (म०प्र०)

विषय :—म. प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के समस्त न्यायिक कर्मचारी दिनांक 16.09.13 से 18.09.2013 तक तीन दिवस के लिए सामूहिक अवकाश/हड़ताल के सम्बंध में।

---000---

यथानिर्देश, उपरोक्त विषय में लेख है कि म. प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के समस्त न्यायिक कर्मचारी द्वारा दिनांक 16.09.13 से 18.09.2013 तक तीन दिवस के लिए सामूहिक अवकाश/हड़ताल पर जाने के सम्बंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :—

1. ऐसे अवसरों पर सभी न्यायालय अधीक्षक/उपाधीक्षक एवं लेखापाल एवं आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
2. प्रत्येक न्यायिक अधिकारी का यह प्रयास होगा कि कथित हडताल के दिनों में नियत प्रकरण संबंधित व्यक्ति से पूर्व में प्राप्त कर उनमें न्यायिक कार्यवाही की जाये और इस हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय अधीक्षक/उपाधीक्षक एवं लेखापाल एवं आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी की सहायता ले सकेंगे।
3. न्यायदान की प्रकिया में पक्षकार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसकी सुविधा परम लक्ष्य है। किसी भी प्रकार की हड़ताल अवैधानिक है, अतः पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और हड़ताल के कारण अनावश्यक स्थगन को रोकने के लिये सभी न्यायिक अधिकारी यथासंभव न्यायिक कार्यकरने का प्रयास करेंगे और जिन प्रकरणों को स्थगित किया जाना है उन्हें उनके प्रक्रम पर विधि अनुसार नियत करेंगे अर्थात प्रकरण उचित आदेश हेतु स्थगित न किये जाये और न ही प्रकरण, सामान्य स्थगन द्वारा नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कर स्थगित किये जाये।
4. सामूहिक अवकाश/हड़ताल के दौरान जो कर्मचारी कार्यालय आना चाहते है, उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे और यह सुनिश्चित किया जावे कि ऐसे इच्छुक कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश लेने/हड़ताल पर जाने के लिये अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बाध्य नहीं किया जावे। इस संबंध में पूर्ण सतर्कता बरती जाकर, ऐसे किसी भी प्रयास को अत्यंत गंभीरता से लिया जाये।

5. शासकीय सेवकों के आंदोलन/हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश के कृत्य म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अनुसार कदाचार की श्रेणी में आते है। इस प्रकार की अनुशासनहीनता करने वालों पर गुणदोषों के आधार पर कार्यवाही, सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है। अनुपस्थिति की अवधि को अनधिकृत अनुपस्थिति मानते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाये।

6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय प्रत्येक सामूहिक अवकाश/हड़ताल वाले दिवस पर हड़ताल पर जाने वाले सभी कर्मचारियों की जानकारी संकलित कर दो बजे अपरान्ह तक (फेक्स या ई-मेल द्वारा), संलग्न प्रारूप के अनुसार रजिस्ट्री को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे।

16/9/13

(बी0 बी0 शुक्ला)
रजिस्ट्रार (डी0ई0)

प्रारूप

म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर सामूहिक अवकाश/आंदोलन/हड़ताल पर रहे कर्मचारियों की जानकारी

(1)

क0	कर्मचारियों की श्रेणी	सामूहिक अवकाश/ आंदोलन/ हड़ताल में सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या	पूर्व से अवकाश या अन्य कारणों से अनुपस्थित कर्म0 की संख्या	रिमार्क
1.	तृतीय श्रेणी			
2.	चतुर्थ श्रेणी			
	योग			

(2) 2. परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की संख्या :-

3. आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या :-

4. संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या :-